ग्रामीण विकास विभाग

क्र0सं0	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम सेवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का नाम	अभियुक्ति
1	**इंदिरा आवास योजना**	आवास निर्माण हेतु सहायता राशि दी जाती है।	01/01/1996 से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक इंदिरा आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत तथा प्रथम किस्त भुगतान प्राप्त लाभुकों को निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय/अग्रेत्तर किस्त की अनुमान्य सहायता राशि का भुगतान किया जाता है।	1. निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण पूर्ण करने पर सहायता राशि का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी 2. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से नए आवासों की स्वीकृति बंद कर दी गयी है।	
2	**ए0पी0एल0/बी0पी0एल0**	वर्तमान में अप्रभावी			
3	**एन0आर0एल0एम0 (National Rural Livelihoods Mission)/ जीविका**	1. **रिवॉल्विंग फण्ड (RF)-** प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को 30 हजार रू0 दिया जाता है। इस राशि से समूह से जुड़ी हुयी महिला द्वारा ऋण में ली गयी राशि का एक प्रतिशत मासिक ब्याज के साथ वापस करना होता है।	यह व्यक्ति को नहीं		एन0आर0एल0एम0 एवं बिहार सरकार द्वारा जीविका से संबंधित सभी योजनाओं के संचालन तथा समूह सदस्यों को

ग्रामीण विकास विभाग

		2. **प्रारंभिक निवेश निधि (ICF)**- प्रत्येक समूह को प्रारंभिक निवेश निधि (ICF) के रूप में स्व-रोजगार हेतु एक लाख रूपये के रूप में दिया जाता है। ICF की राशि को समूह के सदस्य ऋण के रूप में लेकर स्व-रोजगार करते है। समूह सदस्यों द्वारा ऋण में ली गयी राशि का एक प्रतिशत मासिक ब्याज के साथ वापस करना होता है।	बल्कि समूह को दिया जाता है।	जिला परियोजना प्रबंधक-जीविका (सामुदायिक संगठनों को निधि प्रदान करने हेतु स्वीकृति पदाधिकारी)	सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु संसाधन सामूदायिक संगठनों यथा-स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल संघ का गठन किया गया है। यह संगठन का अपना शासी निकाय होता है, जिसमें सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन किया जाता है। सदस्यों को सूविधा, ऋण अथवा अन्य लाभ देने संबंधित सभी निर्णय शासी निकाय द्वारा लिया जाता है तथा इसकी स्वीकृति पदाधिकारी भी यही होते है।
		3. **सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत लाभुकों को वित्तीय सहयोग**- शराबबंदी के पूर्व देशी शराब या ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े परिवारों, अनुसूचित जाति-जनजाति परिवारों एवं अत्यंत निर्धन परिवारों को रोजगार प्रदान करने हेतु बिहार सरकार द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरूआत की गयी है। इसके तहत ग्राम संगठनों द्वारा चयनित लाभार्थियों को अधिकतम दो लाख (योजनान्तर्गत निहित शर्तो के अनुरूप) रोजगार हेतु अनुदान देने का प्रावधान है।	चयनित लाभार्थियों को अनुदान देने हेतु धनराशि ग्राम संगठन को दिया जाता है, जो योग्य लाभुकों को अनुदान उपलब्ध कराते है।		

ग्रामीण विकास विभाग

4	**आधार कार्ड**	1. पंजीकरण- 2. अद्यतीकरण- 3. त्रुटि निराकरण-	यह योजना सभी नागरिकों के लिए है।	इसके लिए विभाग द्वारा जगह-जगह पर आधार स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्रों (PECs)का संचालन निजी एजेंसियों के माध्यम से कराया जा रहा है।	
5	क. **सांसद आदर्श ग्राम योजना**	माननीय सांसदगण द्वारा चयनित ग्राम के समग्र विकास हेतु संबंधित ग्राम में सरकार की सभी योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर संचालन।	चयनित ग्राम में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के आधार पर चयनित योजनाओं का कार्यान्वयन।	चयनित योजना के कार्यान्वयन हेतु अधिकृत विभाग के पदाधिकारीगण।	
	ख. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर चयनित रूर्बन क्लस्टर में आने वाले ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु सरकार की सभी योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर संचालन।	चयनित पंचायत में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के आधार पर चयनित योजनाओं का कार्यान्वयन।	चयनित योजना के कार्यान्वयन हेतु अधिकृत विभाग के पदाधिकारीगण।	
6	**जिला ग्रामीण विकास अभिकरण**	वर्तमान में अप्रभावी			
7	**लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान**	क. व्यक्तिगत शौचालय (IHHL)	शौचालय विहिन परिवारों को	प्रखंड विकास पदाधिकारी	

ग्रामीण विकास विभाग

		ख. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM)	गाँव/ सामुदायिक स्तर पर योजनाओं के लेकर SLWM का कार्य किया जाता है।	जिला जल एवं स्वच्छता समिति/ ग्राम पंचायत	
8	**प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)**	आवास निर्माण हेतु सहायता राशि दी जाती है।	ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण हेतु समय-समय पर दिए गए दिशा निर्देशों के आलोक में कोटिवार प्रतीक्षा सूची का निर्माण किया जाता है। मंत्रालय से लक्ष्य प्राप्त होने पर प्रतीक्षा सूची के क्रम से नियमानुसार योग्य लाभूकों को आवास का लाभ दिया जाता है।	1. आवास की स्वीकृति- जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त द्वारा 2. निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण पूर्ण करने पर सहायता राशि का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा	